संख्या- 34 /2018/365/22-4-18-703/74

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 23 मार्च, 2018

विषय-आदर्श कारागार, लखनऊ में स्थापित पावरलूम उघोग के संचालन हेतु 14 अंक साइज्ड सूत के क्रय का अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8133/उघोग-2/275/2018, दिनांक 06.03.2018 एवं पत्र संख्या-10859/उघोग-2/275/2018, दिनांक 20.03.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की बैठक दिनांक 21.02.2018 में की गयी संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्न विवरणानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में स्थापित पावरलूम उघोग के संचालन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोज्य 14 अंक साइज्ड सूत के क्रय का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है :-

(धनराशि रूपये में)

सामग्री का नाम	मात्रा कुन्तल में	फर्म का नाम	दर प्रति कु0	कुल लागत
14 अंक साइज्ड सूत	271.51	मेसर्स आर0आर0 टेक्सटाईल, कानपुर एवं मेसर्स कमाल शाह इन्टरनेशनल, कानपुर	20,685/- समस्त प्रकार के कर एवं भाड़ा सहित	56,16,184/-
			योग-	56,16,184/-
(रूपया छप्पन लाख सोलह हजार एक सौ चौरासी मात्र)				

क- प्रश्नगत क्रय शासन की क्रयनीति, सामग्री क्रय नियमों/विनियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों यथा शासनादेश सं0-2177/एल/18-7-94-151(एस.पी.)/82 दि0-17.10.94 एवं शासनादेश सं0-344/18-5-2003-76(एस.पी.)/86, दि0-10.03.03 का पूर्ण अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

ख- प्रश्नगत उपकरण का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानसुार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उघम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं के क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

ग- क्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, न्यूनतम मूल्य दर, समयबद्ध आपूर्ति और उसका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित करने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

घ- आपूर्ति कर्ता फर्मों एवं महानिरीक्षक कारागार के मध्य क्रय से पूर्व सम्यक् अनुबन्ध किया जायेगा।

ड.- प्रश्नगत क्रय से सम्बन्धित संविदा/अनुबन्ध की प्रतिलिपि सीनियर, आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।

च- क्रय की गई सामग्री का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करते हुए उपयोग की वित्तीय/भौतिक शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

छ- क्रय की कार्यवाही पूर्ण होने पर महानिरीक्षक कारागार द्वारा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 34 /2018/365(1)/22-4-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सीनियर आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in